न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामनसिटी

बइजलास– राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 30/2022

जीसीएमएस संख्या– 2022/52

अपीलान्ट

1. मन्जू कॅवर पुत्री स्वर्गीय खींव सिंह पत्नि श्रवण सिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी गुढ़ागौडजी जिला झुंझुनू हाल निवासी आबाद कुचामन सिटी जिला डीडवाना – कुचामन सिटी जरिये मुख्तयार खास जितेद्र सिंह पुत्र श्रवण सिह जाति राजपूत निवासी गुढ़ागौडजी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेन्ट्स

1. तोफ कॅवर पुत्री खीव सिंह पत्नी दशरथ सिह जाति राजपूत निवासी लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2. गोविन्द कॅवर पत्नी सज्जन सिंह
3. कमलेश सिंह पुत्र सज्जन सिह
4. विजय सिंह पुत्र सज्जन सिह
5. जितेन्द्र सिंह पुत्र सज्जन सिह
6. पृथ्वी सिह पुत्र खीव सिहं (फौत) के विधिक वारीसान

6/1. प्रकाश कॅवर पत्नि पृथ्वीसिह
6/2. नवल सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
6/3. रघुवीरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
6/4. झब्बरसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
6/5. नरेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह

7. रतन कॅवर पत्नी जगदीश सिंह
8. धपु कॅवर पुत्री जगदीश सिंह
9. राजू कॅवर पुत्री जगदीश सिंह
10. पिरूसिंह पुत्र जगदीश सिंह
11. मैना कंवर पत्नी गंगासिंह
12. नरपतसिंह पुत्र गंगासिंह
13. महोबतसिंह पुत्र गंगासिंह
14. सरोजकॅवर पत्नी विक्रमसिंह
15. दलिपसिंह पुत्र खींवसिंह
16. महेन्द्र सिंह पुत्र खींवसिंह

रेस्पो. 2 ता 16 समस्त जाति राजपूत निवासी कुचामन सिटी

17. चन्द्रपालसिंह पुत्र सदाकॅवर पुत्री खींवसिंह निवासी–चिंचडोली तहसील खेतडी जिला झुन्झूनू राजस्थान ।
18. मीनू सिंह पुत्र सदा कॅवर पुत्री खींवसिंह निवासी–चिंचडोली तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राजस्थान ।
19. ना[illegible]लदार साहब नावां सिटी जिला डीडवाना – कुचामन
20. तहसील[illegible] साहब तहसील कार्यालय कुचामन सिटी
21. राजस्[illegible] सरकार जरिये प्रतिनिधि [illegible]लदार कुचामन सिटी (भूमिधारी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश 627 स्वीकृत नायब तहसीलदार नावां

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. श्री विनोद सिंह, भीकमचन्द, श्याम कुमावत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री बीरमाराम, सुधीर कौशिक, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।
3. राज पैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी राज. सरकार की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 13.10.2025

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत, निर्णय/आदेश नामान्तरकरण 627 स्वीकृत द्वारा नायब तहसीलदार नावां के विरूद्ध पेश की है।

2. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है ग्राम कुचामन तत्कालीन तहसील नावां की सरहद में भूमि खसरा नम्बर पुराना 466 व 497 रकबा 34 बीघा 4 बिस्वा जिसके नये भूमि खसरा नम्बर 1709 1710, 1758, 1759, 1760, 1766 कुल रकबा 5.41 हैक्टर अवस्थित है, जिसका मूल खातेदार खीव सिंह पुत्र भोपाल सिंह जाति राजपूत अपीलार्थी का पिता था. प्रस्तुत खींव सिंह सन् 1977 में फौत हुआ था. तथाकथित खींव सिंह की मृत्यु के बाद उपर वर्णित भूमि में मृतक खींव सिंह की खातेदारी भूमि का बाला बाला रूप से नामान्तकरण संख्या 627 तत्कालीन नायब तहसीलदार, नावां द्वारा स्वीकार किया गया, तथाकथित नामान्तकरण बाबत अपीलार्थी को कोई सूचना अथवा नोटिस नहीं दिया गया तथा स्वर्गीय खींव सिंह की मृत्यु के बाद उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर पुराना 466 व 497 का 1/10 भाग अपीलार्थी के कब्जे में है तथा अपने हिस्से की भूमि पर एक फसल काश्त करती है, लॉट बॉट करती है. जिस बाबत प्रत्यर्थी नम्बर 1 लगायत 18 ने भी उनका हक व हिस्सा स्वीकार करके कभी कोई ऐतराज अथवा आपत्ति पेश नहीं की परन्तु अब दिनांक 25/05/2022 को प्रत्यर्थी नम्बर 1 लगायत 18 ने गलत नामान्तकरण के आधार पर अपीलार्थी के हक व हिस्से को चुनौती दी है. जिसके आधार पर उन्होने तहसीलदार (भू.अ.) से नकले दिनांक 7/6/2022 को प्राप्त की तो उन्हे वास्तविक स्थिति का इल्म हुआ, जिस पर पैसे की व्यवस्था करके प्रस्तुत अपील अपीलार्थी नायब तहसीलदार नावां द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 627 से व्यथित होकर अपीलार्थी निम्नलिखित आधारों पर यह अपीलार्थी की अपील सेवामें पेश है।

3. अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार [illegible] की है कि :–
1) यह है कि सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय का न[illegible]तक[illegible] संख्या 627 विरुद्ध विधि तथा खिलाफ पत्रावली है. इस कारण से [illegible] होने योग्य [illegible] प्रकार से है कि–
2) यह है कि मृतक खातेदार खींव[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

खींव सिंह (मृत)

...जनसिंह (मृत) पृथ्वीसिंह जगदीशसिंह (मृत) सदाकंवर (मृत) गंगासिंह (मृत) विक्रमसिंह (मृत) दिलीपसिंह मन्जूकंवर महेन्द्रसिंह

चन्द्रपालसिंह मोनूसिंह सरोजकंवर(पत्नि)

रतनकंवर (पत्नि) धपुकंवर राजकंवर पीरूसिंह मैनाकंवर (पत्नि) नरपतसिंह मोहब्बतसिंह

...कंवर कमलेशसिंह विजयसिंह जितेन्द्रसिंह

...कि मृतक खींव सिंह व उसके वारिसान जाति से राजपूत तथा धर्म से हिन्दू है। इस ...कार अपीलार्थी एवं स्वर्गीय खींव सिंह के परिवार पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 लागु होता है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार स्वर्गीय खींव सिंह की खातेदारी भूमि को उपर वर्णित वंशावली के अनुसार समहिस्सो में प्राप्त करने के अधिकारी है. इसी अनुरूप नामान्तकरण तस्दीक होना उचित था परन्तु तत्कालीन नायब तहसीलदार ने तथाकथित सज्जन सिंह, पृथ्वी सिंह, जगदीश सिंह, गंगा सिंह, विक्रम सिंह, दिलीप सिंह और महेन्द्र सिंह भाई अपीलार्थी से अपने अकेले के नाम नामान्तकरण तस्दीक करवाया है, जिस बाबत न तो वारिसान की जाँच की गई और ना ही अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर ही दिया गया, इस तरह से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में वर्णित प्रावधानो के विपरित जाकर न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत प्रस्तुत नामान्तकरण तस्दीक किया गया है जो खारिज होने योग्य है।

3) यह है कि नामान्तकरण संख्या 627 विरासतन नामान्तकरण है, जो किसी स्थानान्तरण विलेख के आधार पर नहीं भरा गया है, इसलिए स्वर्गीय खींव सिंह की खातेदारी भूमि में उन्हे संयुक्त रूप से उसे प्राप्त हुआ है, जिसे प्रस्तुत अपीलार्थी का 1/10 भाग नामान्तकरण के जरिये समाप्त करने की कुचेष्टा की गई है. उसके अधिकारो पर कुठाराघात किया गया है, इस तरह से नामान्तकरण संख्या 627 का आदेश मनमाना है तथा विधिक स्थिति से विपरित [illegible] शून्य है, अपीलार्थी के विपरीत प्रस्तुत नामान्तकरण कार्यवाही से अपीलार्थी प्रत्यक्ष रूप से [illegible] है, इसलिए प्रभावित व्यक्ति को बिना नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर दिये पारित [illegible] निर्णय विरूद्ध विधि है, निरस्त होने योग्य है।

4) यह है कि पटवारी हल्का कुचामन द्वारा प्रस्तुत [illegible]करण को अंकित करने के पश्चात् वारिसान की बिना जॉच किये ही गिरदावर हल्का कुचामन व नायब तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

नावां ने प्रस्तुत अपीलाधीन आदेश को सरसरी दृष्टि से पारित कर दिया, जिसकी कोई रिजनिंग भी नहीं है।

5) यह है कि नामान्तकरण संख्या 627 की कार्यवाही के समय न तो पक्षकारान की उपस्थिति दर्ज है और ना ही यह दर्ज है कि किस साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत निर्णय पारित किया गया है. इसलिए भी नामान्तकरण खारिज होने योग्य है।

6) यह है कि अपीलार्थी व स्वर्गीय खींव सिंह के अन्य वारिसान एक ही परिवार के सदस्य है. आपस में एक दूसरे पर विश्वास करते है. जिस कारण राजस्व अभिलेख की ओर अपीलार्थी ने अधिक ध्यान नहीं दिया, जिस बाबत दिनांक 25/05/2022 को धमकी देने पर अपीलार्थी ने दिनाक 7/6/2022 की नामान्तकरण की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 7/6/2022 को नकल प्राप्त हुई, नकल मिलने पर अपीलार्थी को उक्त समस्त स्थिति की जानकारी हुई, प्रस्तुत नामान्तकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है. जिसको किसी भी स्टेज पर विरुद्ध विधि नामान्तकरण होने के कारण अवैध होने के कारण चुनौती दी जा सकती है, इस तरह से नकल प्राप्ति के दिन से अपील अन्दर मियाद सेवामें पेश है। फिर भी विकल्प के बतौर धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न अपील है, वैसे भी प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करना आवश्यक है. केवल मात्र तकनीकी आधार पर खारिज किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

अतः अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर विवादित विरासतन नामान्तकरण संख्या 627 को निरस्त फरमाया जावें। एवं प्रकरण में पुनः तहसीलदार कुचामन को प्रेषित किया जावें।

4 उक्त नामान्तरकरण आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 01.07.2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनांक 19.07.2022 को दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया।

5 प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपील के मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन है कि नायब तहसीलदार नावां द्वारा नामान्तरकरण आदेश 627 स्वीकृत किया गया। जिसकी अपील अपीलान्ट ने दिनांक 01.07.2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की। अपील देरी से प्रस्तुत करने को लेकर मियाद हेतु प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र एवं रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा लिखित प्रतिवेदन पर दोनों पक्षों की बहस में किये गये कथनों पर विचार किया जाकर ... अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील की मेरिट पर सुनवाई किया जाना उचित प्रतीत होता है। दौराने सुनवाई रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का जबाब प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

नहीं करना चाहा। जिसपर दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी जिन्होने अपने अपने समर्थन में बहस सुनाई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रावधान वाद पत्र में लागू होते हैं, अपीलान्ट अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित अनुसार सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है चूंकि नामान्तरकरण अपील परिवारिक प्रकरण हैं जिसमें विधिक वारिसों के अलावा नये खातेदार को पक्षकार बनाया जाना न्याय संगत नहीं है। अपील प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो शामिल मिसल उपलब्ध हैं। अधिवक्ता ने अपील के बिन्दुओं को दोहराया एवं अपने तथ्यों के समर्थन में विभिन्न न्यायालयों के निर्णय इत्यादि प्रस्तुत किये गये।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा भी प्रकरण के संबंध में जो भी लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, उसको शामिल मिसल किया गया।

राज पैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी की बहस सुनी गयी। दोनो पक्षों की लिखित एवं मौखिक बहस सुनी गयी।

<u>विवेचन</u>

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं प्रस्तुत विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का गहनता से अवलोकन किया गया। उपरोक्त विश्लेषण से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश पारित नहीं किया जा सकता। यदि अपीलार्थी (पुत्री) तथा अन्य वैध वारिसों (अन्य पुत्रियों) को नामान्तरकरण कार्यवाही में नोटिस अथवा विधिवत सुनवाई एवं सहमति लिये बिना एक–तरफा विरासत नामान्तरकरण की विधि विरूद्व कार्यवाही किया जाना प्रतीत होता है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 एवं 10 के अनुसार, एक हिंदू पुरुष की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति में पुत्रों के समान ही पुत्रियों एवं पत्नी का भी बराबर का अधिकार होता है। वर्तमान मामले में, यदि पुत्रियों एवं पत्नी को संपत्ति से वंचित कर केवल पुत्रों के पक्ष में नामान्तरकरण किया गया है, तो यह अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन है। विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) के ऐतिहासिक निर्णय ने पैतृक संपत्ति में बेटियों के सहदायिकी अधिकार को सुदृढ़ किया है।

राजस्थान राजस्व नियमों के तहत नामान्तरकरण से पूर्व सक्षम प्राधिकारी (पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार) का यह विधिक दायित्व है कि वह सभी वास्तविक वारिसों की गहनता से जांच करे तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करे। यदि इन अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है, तो पारित आदेश नियमों के उल्लंघन होने के कारण विधि–शून्य होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

–:आदेश:–

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट अपील सारगर्भित होने से स्वीकार की जाती है। नायब तहसीलदार नावां द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 627 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाकर तहसीलदार कुचामन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी एवं अन्य विधिक वारिसानों की जांच कर नियमानुसार पुनः विरासत का नामान्तरकरण भरकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

यह आदेश आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
★ कुचामन सिटी ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:17:28 IST
Reason: SelfAttested